1598
15.08.20

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक : एफ 105( )पतवि/लेखा/नरेगा/निवि/2020-21/1638 जयपुर दिनांक 27/08/2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः– ग्राम पंचायत स्तर से निविदा आमंत्रित करने के निर्देशों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत स्तर से निविदा/उपापन की कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम एवं पंचायती राज नियम 1996 और इस हेतु जारी विभागीय निर्देशों/परिपत्रों की पालना करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

(1) उपापन समिति का गठन :– ग्राम पंचायत स्तर पर उपापन हेतु एक उपापन समिति होगी जो निम्न प्रकार है :–
   (i) सरपंच – अध्यक्ष
   (ii) सचिव – सदस्य सचिव
   (iii) सहायक अभियंता – संबंधित पंचायत समिति
   (iv) लेखा सदस्य – पंचायत समिति में पदस्थापित लेखाकर्मी यथा – सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय

   उक्त के अलावा उपापन समिति में अन्य वांछित तकनीकी अधिकारी को शामिल किया जा सकेगा।

(2) निविदा में सम्मिलित निविदादाताओं से प्राप्त दरों का अन्तर जी–शिड्यूल (G-Schedule) से 10 प्रतिशत अधिक होने पर निविदाओं की स्वीकृति पंचायत समिति स्तर से की जायेगी।

(3) प्राप्त निविदाओं की तुलना करते समय संबंधित माल, सेवाओं, संकर्मों हेतु नरेगा योजना, विभागीय अन्य योजनाओं में प्राप्त समकालीन दरों तथा बाजार में प्रचलित दरों का ध्यान रखते हुए तुलना की जायेगी तथा सर्वाधिक उपयुक्त कीमतों का निर्धारण किया जायेगा।

(4) जब भी कोई निविदा स्वीकृत की जाये, तो उस व्यक्ति से नियमानुसार करार विलेख निष्पादित किया जायेगा, जिसकी निविदा स्वीकृत की गयी है।

उपापन के संबंध में उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

25/08/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग